शर्मनाक : ऑटो में अपहरण कर नर्स से दुष्कर्म की कोशिश

असुरक्षित दिल्ली

नई दिल्ली | हेमंत कुमार पांडेय

हैदराबाद में महिला डॉक्टर की सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या से देशभर में आक्रोश है। संसद से लेकर सड़क तक महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही है। इस बीच, मंगलवार रात दिल्ली में शर्मनाक घटना सामने आई है। प्रसाद नगर में ऑटो सवार बदमाशों ने एक नामी अस्पताल की नर्स का अपहरण कर लिया और उससे दुष्कर्म की कोशिश की।

बदमाशों से बचने के लिए पीड़िता ने चलते ऑटो से छलांग लगा दी, जिससे वह घायल हो गई। पीड़िता की

बचने को छलांग लगाई, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस

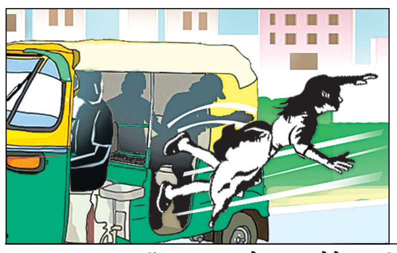

मुखर्जी नगर पुलिस कॉल डिटेल और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज के सहारे बदमाशों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए आधा दर्जन टीम गठित की गई हैं।

शिकायत पर मुखर्जी नगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है।

पुलिस के अनुसार, 20 साल की पीड़िता परिवार सहित गोकलपुरी में रहती है। वह राजधानी के एक बड़े अस्पताल में नर्स है। मंगलवार रात करीब दस बजे वह अस्पताल से घर के लिए निकली। पीड़िता का भाई उसे लेने कश्मीरी गेट बस अड्डे पर आने वाला था, इसलिए युवती ने अस्पताल के गेट के बाहर से ऑटो लिया, जिसमें चालक सहित तीन लोग सवार थे, मगर इन लोगों ने पीड़िता को अगवा कर लिया।

डेढ़ घंटे तक सड़कों पर घुमाते रहे : बदमाश रानी झांसी फ्लाईओवर से कश्मीरी गेट बस अड्डे होते हुए पीड़िता को रिंग रोड पर घुमाते रहे। इस दौरान उन्होंने पीड़िता का मोबाइल और दो हजार रुपये भी छीन लिए। रिंग रोड से गोपालपुर होते हुए बदमाश कोरोनेशन पार्क की तरफ मुड़ गए। 11:30 बजे पार्क के पास पीड़िता जान बचाने के लिए ऑटो से कूद गई, जिससे उसे चोटें भी आईं।

कुछ दूरी पर उसे मुखर्जी नगर पुलिस की पिकेट दिखाई दी, जहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों से उसने सारी बात बताई। मामला प्रसाद नगर इलाके का था, लेकिन मुखर्जी नगर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर छेड़छाड़, अपहरण, लूट एवं अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली। साथ ही पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया।

नाबालिग से छेड़छाड़ करने पर डॉक्टर गिरफ्तार

नई दिल्ली | वरिष्ठ संवाददाता

कालकाजी में एक डॉक्टर ने इलाज के बहाने क्लीनिक में बुलाकर नाबालिग से छेड़छाड़ की। नाबालिग ने परिजनों को डॉक्टर की हरकत के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पुलिस उपायुक्त चिन्मय बिश्वाल के अनुसार, कालकाजी में डेंटल सोल्यूशन नाम से डॉ. हिन्द पॉल भाटिया अपना क्लीनिक चलाते है। शिकायतकर्ता 26 नवंबर को बेटी के दांत में दर्द होने पर उसे क्लीनिक ले गए थे। वहां आरोपी डॉक्टर ने उपचार के दौरान उनकी 15 वर्षीय बेटी के साथ छेड़छाड़ की, लेकिन उनकी बेटी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। 28 नवंबर को वह दोबारा उपचार के लिए डॉक्टर के क्लीनिक पहुंचे, जहां फिर से डॉक्टर ने बच्ची को उपचार के दौरान गलत तरीके से छुआ और उसके साथ छेड़छाड़ की।

काम की खबरें

यमुना किनारे लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने बुधवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को बताया कि यमुना किनारे गैर कानूनी ढंग से बालू का खनन रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। समिति ने ट्रिब्यूनल को बताया कि इसके लिए जगहों की पहचान कर ली गई है। समिति ने ट्रिब्यूनल को बताया कि राजधानी में ऐसे नौ स्थान उत्तर पूर्वी जिले में, पांच दक्षिण पूर्वी जिले में, तीन मध्य जिले में और छह उत्तरी जिले में चिन्हित किये गए हैं जहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं।

सफदरजंग में 50 बेड का रैन बसेरा शुरू

सफदरजंग अस्पताल में मरीजों और उनके परिजनों को सर्दियों में आश्रयदेने के लिए रैन बसेरे की शुरुआत की गई है। आईटीबीपी की हिमवीर वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से यह रैन बसेरा शुरू किया गया है। अस्पताल के एच ब्लॉक में मरीजों और तीमारदारों के लिए 50 बिस्तरों के एक रैन बसेरा स्थापित किया है । इसमें तीमारदारों को 'पहले आओ पहले पाओ' की तर्ज पर रात्रि विश्राम की सुविधा मिल रही है।

कई इलाकों में आज जलापूर्ति बाधित

भूतिगत जलाशय व बूस्टर पंप के सालाना रखरखाव के काम के चलते उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाकों में 5 दिसंबर को जलापूर्ति बाधित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक लोनी रोड के एलआईजी, एमआईजी फ्लैटों व गोकुलपुरी पुर्नवास कॉलोनी में पानी नहीं आएगा। स्थानीय लोग टोल फ्री नंबर 1916, 1800117118 और केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के नंबर 23527679, 23634469, पर फोन करके पानी का टैंकर मंगवा सकते हैं।

अवैध रिक्शा चार्जिंग केंद्र बनाने पर सजा होगी

दिल्ली में अवैध रूप से ई-रिक्शा चार्जिंग केंद्र चलाने वाले एक व्यक्ति को रोहिणी जिला अदालत ने 6 महीने की जेल और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। रोहिणी कोर्ट ने जहांगीर पुरी निवासी मनोज कुमार को यह सजा सुनाई है। मनोज कुमार, जहांगीर पुरी में अवैध रूप से ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन चला रहा था। जिसमें प्रतिदिन 19 रिक्शा चार्ज किए जा रहे थे।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा-यह हमारे घोषणा पत्र की अहम चीज थी, इंटरनेट भी बिजली-पानी की तरह बुनयादी जरूरत

मुफ्त वाई-फाई का वादा भी पूरा हुआ : केजरीवाल

नई दिल्ली | वरिष्ठ संवाददाता

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को दिल्ली वालों के लिए मुफ्त वाई-फाई सेवा की घोषणा की। दिल्ली वालों को यह सुविधा 16 दिसंबर से मिलने लगेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि घोषणा पत्र में किया दिल्ली के लोगों को मुफ्त वाईफाई का आखरी वादा भी हमने पूरा कर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के लोगों को मुफ्त वाईफाई देना हमारे घोषणा पत्र का अहम वादा था। डिजिटल युग में न्यूनतम कनेक्टिविटी और न्यूनतम डाटा का इस्तेमाल एक तरह से इंसान की बुनियादी जरूरतों में शामिल हो चुका है।

केजरीवाल ने कहा, जैसे हमने बुनियानी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट बिजली, 20 हजार लीटर पानी मुफ्त किया है। उसी तरह एक बुनियादी जरूरत इंटरनेट को भी हम मुफ्त करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे घोषणा पत्र का आखरी वादा भी पूरा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, यह पहली सरकार होगी, जिसने अपने सारे वादे पांच साल के अंदर पूरे कर दिए।

नई दिल्ली में बुधवार को वाई-फाई योजना के बारे में जानकारी देते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उन्होंने इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि करार दिया।

राष्ट्रीय औसत से ज्यादा डाटा देगी दिल्ली सरकार : 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में औसतन प्रति व्यक्ति 9.8 जीबी डेटा प्रतिमाह इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली सरकार औसतन 15 जीबी डेटा प्रति व्यक्ति देगी। दिल्ली सरकार हर व्यक्ति को 1.5 जीबी डेटा प्रतिदिन मुहैया कराएगी।

एप के जरिए उठा पाएंगे सुविधा का लाभ

हॉट स्पॉट को आसानी से इस्तेमाल करने के लिए एप बनाया गया है, जिसे जल्द जारी कर दिया जाएगा। एप पर जानकारी सूचनाएं भरनी होंगी। इसके बाद फोन में ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद इंटरनेट का कनेक्शन चालू हो जाएगा। एक सप्ताह तक अपने हॉट स्पॉट जोन से निकलकर दूसरे में जाते हैं, तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं होगा, बल्कि दूसरे हॉटस्पॉट से जुड़ जाएगा।

हर 500 मीटर पर

11 हजार हॉट स्पॉट लगने के बाद दिल्ली में 500 मीटर पर लोगों को एक वाई फाई मिल जाएगा। हर हॉट स्पॉट की क्षमता 100 मीटर की होगी।

15 जीबी डाटा हर महीने

हर व्यक्ति को 15 जीबी डाटा हर महीने मुफ्त में दिया जाएगा और प्रतिदिन 1.5 जीबी डाटा मुफ्त दिया जाएगा। औसतन 100 एमबीपीएस की स्पीड होगी। कुछ जगह 200 एमबीपीएस की भी स्पीड मिलेगी।

सीसीटीवी कैमरे भी हॉट स्पॉट से जोड़े जाएंगे

दिल्ली में लगे सीसीटीवी कैमरे भी वाईफाई सिस्टम से जोड़े जाएंगे। इससे दिल्ली को और सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। सीसीटीवी कैमरे और वाई-फाई की देखरेख दिल्ली सरकार करेगी।

22 लाख लोग एक साथ इस्तेमाल करेंगे

एक हॉट स्पॉट पर 150 से 200 लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम औसतन 200 यूजर माने और 11 हजार हॉट स्पॉट माने तो 22 लाख यूजर एक साथ इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे।

सौ करोड़ खर्च

11,000 हॉट स्पॉट बनेंगे, 4,000 बस स्टैंड पर लगेंगे

100 हॉट स्पॉट हर विधानसभा में लगेंगे

100 करोड़ प्रतिवर्ष का अतिरिक्त खर्च आएगा सरकार पर

शुरुआत में कहां कितने हॉट स्पॉट

स्थान	हॉट स्पॉट
आदर्श नगर	18
बादली	19
मालवीय नगर	19
सीमापुरी	16
शाहदरा	18
मोती नगर	10

यहां 16 दिसंबर से मुफ्त सुविधा

कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, कश्मीरी गेट आईएसबीटी, आईटीओ बस स्टैंड, मंडी हाउस बस स्टैंड, दिल्ली सचिवालय, इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन, दिल्ली विश्वविद्यालय बस स्टैंड, सराय काले खां बस स्टैंड।

मोबाइल टावर नीति लागू की

नई दिल्ली (व.सं.)। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम राजस्व वृद्धि और बेहतर मोबाइल नेटवर्क के लिए अस्थायी मोबाइल टावर (सेल ऑन व्हील्स) लगाने के लिए लाइसेंस प्रदान करेगा। इस नई नीति के तहत कोई भी नई या मौजूदा टेलिकॉम कंपनी, जिसके पास भारत सरकार के दूरसंचार विभाग का वैध लाइसेंस है, वो निगम को मासिक किराया देकर अस्थायी टावर लगाने के लिए आवेदन कर सकता है।

निगम को उम्मीद है कि इससे न केवल कॉल ड्राप की समस्या खत्म होगी, बल्कि राजस्व भी बढ़ेगा।

कन्हैया पर केस की मंजूरी देने के आदेश से इनकार

राहत

नई दिल्ली | प्रमुख संवाददाता

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को जेएनयू के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य छात्रों के खिलाफ राजद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया। याचिका में इस बाबत दिल्ली सरकार को आदेश देने की मांग की गई थी।

मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरि. शंकर की पीठ ने कहा कि यह दिल्ली सरकार पर निर्भर है कि

सुनवाई

- भाजपा के पूर्व विधायक ने उच्च न्यायालय में दर्ज की थी याचिका
- दिल्ली सरकार को मुकदमा चलाने के आदेश देने की मांग की गई थी

वह मौजूदा नियमों, नीति, कानून और तथ्यों के अनुसार यह फैसला करें कि आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दी जाए या नहीं। पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि इस मामले से याचिकाकर्ता व भाजपा के पूर्व विधायक नंद किशोर गर्ग का कुछ निजी हित जुड़ा है।

याचिका में गंभीर प्रकृति के आपराधिक मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए दिशा निर्देश जारी करने की भी मांग की गई थी, जिनमें बतौर आरोपी प्रभावशाली व्यक्ति शामिल हैं। इस बारे में उच्च न्यायालय ने कहा कि मौजूदा नियमों के अतिरिक्त सरकार को अलग से निर्देश देने का कोई उचित कारण नजर नहीं आ रहा है। न्यायालय ने कहा कि विभिन्न अदालत पहले ही इस बारे में पर्याप्त दिशा-निर्देश जारी कर चुकी हैं। भाजपा नेता ने मंगलवार को उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी।

भाजपा के पूर्व विधायक गर्ग ने याचिका में दिल्ली सरकार पर तय समय में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का मंजूरी नहीं देने का आरोप लगाया था। फरवरी, 2016 में जेएनयू परिसर में कथित तौर देश विरोधी नारे लगाए गए थे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जेएनयू छात्र संघ के तत्कालीन अध्यक्ष कन्हैया कुमार व अन्य पर मुकदमा दर्ज किया था।

दिल्ली का पानी जांच में पास : जल बोर्ड

नई दिल्ली | वरिष्ठ संवाददाता

दिल्ली से पिछले 10 दिनों में 4204 पानी के नमूने लिए गए, जिनमें से 98.1 फीसदी नमूने जांच में पास हो गए हैं। इन इलाकों में पानी पीने योग्य है, इनकी रिपोर्ट संतोषजनक पाई गई हैं। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष दिनेश मोहनिया ने यह जानकारी दी।

पिछले दिनों भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने दिल्ली में 11 जगहों से लिए पानी के नमूनों की रिपोर्ट जारी की थी। इस नमूनों को 19 मानकों पर फेल बताया गया था। इसके बाद दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली के हर वार्ड से पांच-पांच पानी के नमूने लिए और अपने लैब में 29 मानकों पर इनकी जांच कराई।

दावा

- जल बोर्ड उपाध्यक्ष मोहनिया ने दी जानकारी, 98 फीसदी नमूने पास
- बीआईएस पर दिल्ली को बदनाम करने का आरोप लगाया

कैसे की गई जांच

4,204 नमूने लिए गए। इनमें से 4,128 संतोषजनक यानि 98.1 प्रतिशत

76 नमूने असंतोषजक रहे यानि 1.8 प्रतिशत के करीब

एसओपी का पालन : मोहनिया ने कहा कि हमने अपनी जांच में पारदर्शिता बरती है। जांच में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय सभी मानक कार्रवाई प्रक्रिया (एसओपी) का पालन किया गया। हमने प्रत्येक 10 हजार की आबादी से इस तरह से नमूने लिए हैं।

आरओ कंपनी को फायदा : मोहनिया का आरोप था कि बीआईएस ने अपनी जांच में दिल्ली के पानी को पीने योग्य नहीं होने की रिपोर्ट देकर दिल्ली जलबोर्ड और दिल्ली को बदनाम करने की साजिश की है। उसने आरओ कंपनियों की लैब से जांच करवाई। उन्होंने आरओ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए गलत रिपोर्ट जारी की।

विधानसभा में विपक्ष को मुद्दे नहीं उठाने दिए : गुप्ता

नई दिल्ली | वरिष्ठ संवाददाता

दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा सत्र के दौरान दिल्ली सरकार पर तानाशाही करने का आरोप लगाया। गुप्ता ने कहा कि विपक्ष को आशा थी कि अंतिम सत्र होने के कारण सरकार विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों पर सदन में चर्चा करवाएगी। लेकिन सरकार विपक्ष के उठाए गए मुद्दों से भागती नजर आई।

गुप्ता ने कहा कि मंगलवार को प्रदर्शनकारी महिलाओं और किसानों के विधानसभा में घुसने पर अनादरसूचक भाषा इस्तेमाल की गई। महिलाओं के प्रति अध्यक्ष का रवैया अत्यंत अशोभनीय रहा।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह सत्र आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल का अंतिम सत्र था। लेकिन मात्र दो दिन के लिए सत्र रखा गया, क्योंकि सरकार विपक्ष द्वारा ज्वलंत समस्याओं, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर करने से बचना चाहती थी। गुप्ता ने कहा कि सरकार जनहित के मुद्दों से चर्चा पर भागती नजर आई।

सफर के हालिया शोध से खुलासा, साल में एक लाख 45 हजार किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करती हैं टैक्सी

निजी कारों से पांच गुना ज्यादा प्रदूषण फैला रहीं कैब

चिंताजनक

नई दिल्ली | संजय कुशवाहा

निजी वाहनों की तुलना में कैब या टैक्सी सेवा में चलने वाले वाहन पांच गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। सफर के हालिया शोध से इसका खुलासा हुआ है।

अध्ययन के मुताबिक, कैब के तौर पर इस्तेमाल होने वाले वाहन आमतौर पर साल में एक लाख 45 हजार किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करते हैं। यह निजी वाहनों की तुलना में पांच गुना ज्यादा है। निजी कारों का औसत पच्चीस से तीस हजार के लगभग ही है। इस अनुसार देखा जाए तो कैब में चलने वाले वाहनों से होने वाले प्रदूषण की मात्रा काफी ज्यादा हो जाती है।

बड़ा सवाल : तो फिर सीएनजी का क्या फायदा

दिल्ली में प्रदूषण से मुक्ति के लिए सार्वजनिक परिवहन को सीएनजी संचालित करने की मुहिम बीस साल पहले शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद दिसंबर 2002 तक दिल्ली सरकार ने अंतिम डीजल बस को भी सड़क से हटा लिया था। दिल्ली में बीते छह सालों में टैक्सी की संख्या लगभग दोगुनी हो गई।

भारी वाहनों की तरह चार पहिया वाहन भी प्रदूषण के बड़े कारक के तौर पर सामने आए हैं। सालभर में सबसे ज्यादा चलाए जाने के चलते कैब सेवाओं के वाहनों की भूमिका प्रदूषण में बढ़ जाती है। -**गुफरान बेग**, परियोजना निदेशक, सफर

हर दिन आते हैं 11 लाख वाहन : शोध के मुताबिक, दिल्ली के सिर्फ आठ प्रमुख प्रवेश मार्गों से ही हर दिन 11 लाख से ज्यादा वाहन प्रवेश करते हैं। इसलिए दिल्ली की सड़कों पर इनकी संख्या 25 से लेकर 45 फीसदी तक हो सकती है। इसलिए दिल्ली में अन्य जगहों से आने वाले वाहनों की भी प्रदूषण में बड़ी हिस्सेदारी है। शोध एक और खास बात की तरफ इशारा करता है। छुट्टी के दिन जहां दिल्ली की ज्यादातर सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होती है, वहीं इंडिया गेट, कश्मीरी गेट और एयरपोर्ट के आसपास की सड़कों पर वाहनों की तादाद में इजाफा हो जाता है।

सुस्त रफ्तार से दिक्कत: दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की भारी संख्या के चलते वाहनों की रफ्तार कम हो जाती है। सड़कों पर औसतन 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चलते हैं। इसके चलते इनसे होने वाला कार्बन उत्सर्जन भी ज्यादा होता है।

छह वर्षों में संख्या दोगुनी

वित्तीय वर्ष	टैक्सी की संख्या
1999-2000	8,545
2011-2012	68,965
2017-2018	1,18,060

41 फीसदी प्रदूषण के लिए वाहनों से निकलने वाला धुआं है जिम्मेदार

30 किलोमीटर प्रति घंटे से कम ही रहती है औसतन वाहनों की रफ्तार

01 लाख18 हजार से ज्यादा वाहन है टैक्सी के तौर पर पंजीकृत